



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20112021-231272
CG-DL-E-20112021-231272

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4415]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 18, 2021/कार्तिक 27, 1943

No. 4415]

NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 18, 2021/KARTIKA 27, 1943

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली 18 नवम्बर, 2021

का.आ. 4781(अ).—केंद्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 3558 (अ) तारीख 26 अगस्त 2021, जो भारत के असाधारण राजपत्र तारीख 31 अगस्त 2021, में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कोर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा बाडमेर (राजस्थान) से पालनपुर (गुजरात) तक बाडमेर-पालनपुर पाइपलाइन के माध्यम से तैयार पेट्रोलियम पदार्थ के परिवहन के लिए गुजरात राज्य में पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त असाधारण राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को तारीख 18 सितम्बर 2021 तक उपलब्ध करा दी गई थी;

और सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के अधीन केंद्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है,

और केंद्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है,

अतः अब, केंद्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार अर्जन किया जाए,

और केंद्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केंद्रीय सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कोर्पोरेशन लिमिटेड में निहित होगा।

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अध्याधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कोर्पोरेशन लिमिटेड पूर्णतया उत्तरदायी होगी और पाइपलाइन से सम्बन्धित किसी भी मामले पर केंद्रीय सरकार के विरुद्ध कोई वाद या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

अनुसूची

तालुका - डीसा

जिला - बनासकांठा

राज्य - गुजरात

क्रम. सं.	गाँव का नाम	सर्वे सं. /गाटा सं.	क्षेत्रफल		
			हैक्टेयर	एयर	वर्गमीटर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	विठोदर	1043	00	03	62
		कुल	00	03	62
2	तालेगढ़	278	00	03	92
		कुल	0	03	92
3	भड़थ	565	00	08	49
		कुल	00	08	49
4	डावस	620	00	00	22
		कुल	00	00	22
5	रानपुर आथमणोवास	1007	00	01	65
		1415	00	04	38
		1003	00	03	27
		889	00	00	07
		846	00	00	10
		736	00	00	07
		844	00	00	29
		737	00	00	89

		738	00	00	12
		741	00	04	97
		743	00	09	23
		383	00	00	10
		कुल	00	25	14
6	राणपुरवचलोवास	234	00	02	47
		कुल	00	02	47

[फा. सं. आर-11025(15)/3/2020-ओआर-1/ई-33838]

पी. सोमाकुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS
NOTIFICATION

New Delhi, the 18th November, 2021

S.O. 4781(E).—Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas S.O. No. 3558 (E) Dated 26th August 2021, issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act), published in the Extra Ordinary Gazette of India dated the 31st August 2021, the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for transportation of finished petroleum product through Barmer - Palanpur Pipeline from Barmer (Rajasthan) to Palanpur (Gujarat) by Hindustan Petroleum Corporation Limited(HPCL).

And whereas copies of the said Extra Ordinary Gazette notification were made available to the public by 18th September 2021.

And whereas the Competent Authority has, under sub-section (1) of section 6 of the said Act, submitted report to the Central Government;

And whereas the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vest on the date of publication of the declaration, in Hindustan Petroleum Corporation Limited free from all encumbrances.

Hindustan Petroleum Corporation Limited shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the P&MP Act, 1962 and no suit, claim or legal proceeding would lie against the Central Government on any matter relating to the pipeline.

SCHEDULE

TALUKA- DEESA

DISTRICT-BANASKANTHA

STATE- GUJARAT

S. No.	Name of Village	Survey No.	Area		
			Hectare	Are	Sq. M.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	VITHODAR	1043	00	03	62
		Total	00	03	62
2	TALEGADH	278	00	03	92
		Total	0	03	92
3	BHADATH	565	00	08	49
		Total	00	08	49
4	DAVAS	620	00	00	22
		Total	00	00	22
5	RANPUR ATHMNOVAS	1007	00	01	65
		1415	00	04	38
		1003	00	03	27
		889	00	00	07
		846	00	00	10
		736	00	00	07
		844	00	00	29
		737	00	00	89
		738	00	00	12
		741	00	04	97
		743	00	09	23
		383	00	00	10
		Total	00	25	14
6	RANPUR VACHLOVAS	234	00	02	47
		Total	00	02	47

[F. No. R-11025(15)/3/2020-OR-1/E-33838]

P. SOMAKUMAR, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली 18 नवम्बर, 2021

का.आ. 4782(अ).—केंद्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 3557 (अ) तारीख 26 अगस्त 2021, जो भारत के असाधारण राजपत्र तारीख 31 अगस्त 2021, में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कोर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा बाडमेर (राजस्थान) से पालनपुर (गुजरात) तक बाडमेर-पालनपुर पाइपलाइन के माध्यम से तैयार पेट्रोलियम पदार्थ के परिवहन के लिए गुजरात राज्य में पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त असाधारण राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को तारीख 18 सितम्बर 2021 तक उपलब्ध करा दी गई थी;

और सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के अधीन केंद्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है,

और केंद्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है,

अतः अब, केंद्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार अर्जन किया जाए,

और केंद्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केंद्रीय सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कोर्पोरेशन लिमिटेड में निहित होगा।

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अध्याधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कोर्पोरेशन लिमिटेड पूर्णतया उत्तरदायी होगी और पाइपलाइन से सम्बन्धित किसी भी मामले पर केंद्रीय सरकार के विरुद्ध कोई वाद या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

अनुसूची

तालुका –पालनपुर		जिला- बनासकांठा	राज्य-गुजरात		
क्रम. सं.	गाँव का नाम	सर्वे सं. /गाटा सं.	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	एयर	वर्गमीटर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	चंडीसर	1238	00	26	15
		984	00	01	16
		कुल	00	27	31

[फा. सं. आर-11025(15)/3/2020-ओ आर-1/ई-33838]

पी. सोमाकुमार, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th November, 2021

S.O. 4782(E).—Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas S.O. No. 3557 (E) Dated 26th August 2021, issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act), published in the Extra Ordinary Gazette of India dated the 31st August 2021, the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for transportation of finished petroleum product through Barmer - Palanpur Pipeline from Barmer (Rajasthan) to Palanpur (Gujarat) by Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL).

And whereas copies of the said Extra Ordinary Gazette notification were made available to the public by 18th September 2021

And whereas the Competent Authority has, under sub-section (1) of section 6 of the said Act, submitted report to the Central Government;

And whereas the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vest on the date of publication of the declaration, in Hindustan Petroleum Corporation Limited free from all encumbrances.

Hindustan Petroleum Corporation Limited shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the P&MP Act, 1962 and no suit, claim or legal proceeding would lie against the Central Government on any matter relating to the pipeline.

SCHEDULE

TALUKA- PALANPUR

DISTRICT-BANASKANTHA

STATE- GUJARAT

S.No.	Name of Village	Survey No.	Area		
			Hectare	Are	Sq. M.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	CHANDISAR	1238	00	26	15
		984	00	01	16
		Total	00	27	31

[F. No. R-11025(15)/3/2020-OR-1/E-33838]

P. SOMAKUMAR, Under Secy.